प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय 1 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा, राजस्थान सरकार के राजकोषीय परिचालनों की तुलनात्मक स्थिति, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रेक्षणों का सार एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, का सारांश उपलब्ध कराता है। अध्याय 2 में 'राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा' तथा 'विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना', पर किये गये निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा में पाये गये मुख्य निष्कर्षों की विवेचना की गई है।

3. इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्वायत्तशासी निकायों सहित सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर महत्वपूर्ण मामलों को शामिल किया गया है। सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों, आर्थिक क्षेत्र के विभागों, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, राज्य सरकार के वित्त पर प्रेक्षणों एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में उजागर हुये प्रेक्षणों पर प्रतिवेदनों को भी पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से भी जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहॉ कहीं आवश्यक हैं, भी शामिल किए गए हैं।